

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश


क्रमांक/स्था 2/सी/स्था /11/11/60

भोपाल,दिनांक 07/06/2011

//आदेश//

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निर्माकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में विषयमान से व्याख्याता के रिक्त पद पर प्रशासनिक आधारपर तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

स. क्र.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानांतरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री मुकेश जैन (गणित)	AS 7081	शास.बा.उ.मा.वि.कॉट क्र-2 नीमच	23180777702	शास.उ.मा.वि.जावद जिला नीमच	23180377701
2	श्री शिवकुमार सिंह (अर्थशास्त्र)	AV 4236	शास बा.उ.मा.वि.मैहर जिला सतना	23130277704	शास.उ.मा.वि.बरहना (कोठी) जिला सतना	23139966602

  
आयुक्त 7.6.11


लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल,दिनांक 07/06/2011

पृष्ठा.क्रमांक/स्था 2/सी/स्था /11/11/61

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक मान मंत्रीजी स्कूल शिक्षा/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल
4. कलेक्टर जिला नीमच, सतना ।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचातयत जिला नीमच, सतना ।
6. सयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय उज्जैन,,रीवा ।
7. जिला कोषालय अधिकारी जिला नीमच, सतना ।
8. स्टॉफ आफिसर आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र.भोपाल ।
9. जिला शिक्षा अधिकारी नीमच,सतना म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित रास्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सप्ताह में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे ।
10. संबंधित प्राचार्य की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।



आयुक्त,  
लोक शिक्षण म.प्र.